ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06-06-18	पत्रावली न्याय आयोग नियम कार्यक्रम के तहत राजस्व लोक अदालत में ...सोजत-पाली पर पेश हुई। पक्षकारों को सूचना तारीख पेशी 17-07-18 को ...सोजत पर पेश हो। ...पक्षकारों ने ...लिए, सामिल हो। एस.डी.ओ. सोजत	
17-07-18	अवकाश अनुपस्थित। अधिकारी / कर्मचारी द्वारा न्यायालय में ... लिखा गया है। अतः पेश हो। दिनांक 05-09-18 को पेश हो।	
05-09-18	उपखण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट ... 26-09-18 को पेश हो।	भवानीराम
26-09-18	...उप0 तहसीलदार, सोजत ...पक्षी सं3 उपस्थित उभय पक्षों का पुना ग्रामों ...वक्ता पक्षी ने प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111 व 128 A Act 1956 के तहत कि रूप ...ग्राम ...पेश किया कि मौजा- कसवाड़ पण्ड कसवाड़ तह0 सोजत के वर्तमान ख0नं0 254/1 रकबा 0.2500 है0 ख0नं0 256/1 रकबा 0.2500 है0 की भूमि पक्षी सं0 1 ...लाल के नाम व ख0नं0 254 रकबा 0.4700 है0 जिस ...पक्षी सं0 2 ...चन्द के नाम की काश्त पुश्त खातेदारी की भूमि स्थित है अतः भूमि ...भूमि के पास पक्षी सं0 1 ...के नाम की खातेदारी भूमि ख0नं0 256 रकबा 0.4700 है0 व पक्षी सं0 2 ...की ख0नं0 256 रकबा 0.4700 है0 खातेदारी भूमि स्थित है। अतः भूमि ख0नं0 254/1 व 256/1 व 254 का राजस्व नक्शे में तस्दीक नहीं है। पक्षीगण की भूमि मौके पर सीमांकन व तस्दीक नहीं होने से पक्षीगण की खातेदारी काश्त पुश्त भूमि ...पक्षीगण आपसी ...काश्त ...चाहते हैं तथा पक्षीगण पक्षीगण की खातेदारी व काश्त पुश्त भूमि ...पर लगी ...मौके पर ...पक्षीगण की अतः भूमि ...सीमांकन नहीं होने से ...पाल ...विवाद होता रहता है। पक्षीगण की खातेदारी भूमि ख0नं0 254/1 रकबा 0.2500 है0, ख0नं0 256/1 रकबा 0.2500 है0 व ख0नं0 254 रकबा 0.4700 है0 भूमि	

P.T.O.

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

वाद पत्रावली के अंतिम सुनवाई लगाया जाकर राजस्व रिकार्ड, जमाबंदी लेखे में तरमीम किया जाना आवश्यक आवश्यक व जमाबंदी संबंधित प्रार्थी गण की खातेदारी भूमि का सही सीमांकन हो सकें। प्रार्थी गण द्वारा अप्रार्थी गण की अवैध भूमि को शान्तिपूर्वक पैमाइश हेतु निगरानी में पैमाइश, बाजार में साफ हल्का वाद दिया। प्रार्थी गण ने प्रस्तुत भूमि पैमाइश का प्रार्थना पत्र मामला तहसीलदार, बगड़ी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर पटवारी हल्का कल्याणपुर ने अपनी रिपोर्ट दि० 27-11-2017 में मौके पर पैमाइश में विवाद उत्पन्न होने की स्थिति है, का लिखा। प्रार्थी गण अपने-अपने भूमि का सीमांकन करवाना चाहते हैं तथा राजस्व रिकार्ड में तरमीम करवाना चाहते हैं। इस प्रकार प्रार्थना पत्र एवं शपथ-पत्र एवं शपथ-पत्र तथा दिनांक 06-06-2018 को संशोधित शपथ-पत्र पेश कर प्रार्थी गण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना स्वीकार किया जाने तथा मौजा कल्याणपुर में स्थित भूमि भूमि ख.नं. 254/1 रकबा 0.2500 हे०, ख.नं. 256/1 रकबा 0.2800 हे० व ख.नं. 254 रकबा 0.4700 हे० भूमि का सीमांकन करवाया जाकर, मौके पर पत्रावली के अंतिम सुनवाई लगाया जाने एवं राजस्व रिकार्ड जमाबंदी लेख में तरमीम करवाए जाने की इत्तला की। इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया जाकर अप्रार्थी गण को नोटिस सीमांकन वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी गण सं० 1 व 2 का बावजूद तामिली इत्तला नहीं आए। आवश्यक दिखाए जाने पर की अनुपस्थिति में दिनांक 05-02-2018 का हुक्म निरस्त एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी सं० 3 द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र दि० 05-02-18 को पेश किया गया।

बहस प्रार्थना पत्र अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी गण ने कथन किया कि संशोधित शपथ-पत्र के संसरण प्रस्तुत मामले के इस अनुसार प्रस्तुत जमाबंदी में खाता संख्या एवं ख.नं. 254, 254/1 तथा 256 व 256/1 की भूमि लाल स्याही से दर्शाया है, किन्तु भूमि की पैमाइश हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का कल्याणपुर की रिपोर्ट अनुसार मौके पर पैमाइश में विवाद उत्पन्न होने की स्थिति का संकेत किया है। लिहाजा प्रार्थी गण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आज्ञापत्र 110, 111 एवं 128 भू.रा.अ. 1956 का स्वीकार किया जाने तथा तहसीलदार, बगड़ी को आदेशित किया जाकर उक्त भूमि का मौके पर सीमांकन करवाया जाकर पत्रावली स्थगित किया जाकर नकशा करवाए जाने की इत्तला करें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थी गण एवं पत्रावली

लगातार—

उप खण्ड अधिकारी
बोहत (जिला-पाली) राज

हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

जज या मजिस्ट्रेट आदेश को इस हुक्म की तामील के बारे हुए

वाद संख्या में आवेदक वाद आवेदिका प्रार्थीगण पट्टे गोट का मजरा को किया गया। वस्तुतः वर्तमान रकबा नं० 254/1 रकबा 0.2500 हे०, रकबा नं० 256/1 रकबा 0.2200 हे० प्रार्थीगण संख्या तथा रकबा नं० 254 रकबा 0.4700 हे० प्रार्थी सं० 2 की आमे का बगीचा मौका सबूत उभय पक्ष मौके पर निर्माण करवाया जाकर मुकदमा पत्रावली के जरिये मुद्दा लगवाये जाने हेतु तहसीलदार, साजत को आदेशित किया जाना उचित समझता है।

— आदेश —

अतः आवेदकगण प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 110, 111 एवं 129 राजस्थान टेनेन्सी अधिनियम, 1956 का स्वीकार किया जाता है। मुताबिक मौजा- के लवाड़ पट्टा के लवाड़ तहसील- साजत में स्थित बाकी आमे रकबा नं० 254/1 रकबा 0.2500 हे०, रकबा नं० 256/1 रकबा 0.2200 हे० तथा रकबा नं० 254 रकबा 0.4700 हे० का आमे का बगीचा मौका सबूत निर्विवाद, पटवारीगणों की रिपोर्ट अंकित करवाई जाकर मौके पर निर्माण करवाया जाने के तथा जरिये पत्रावली मुद्दा लगवाये जाने के तहसीलदार, साजत को आदेशित किये जाते हैं कि उक्त निर्णय की प्रति भेजकर पालना हेतु तहरीर जारी करें। वाद पालना राजस्व बकूबा में दरकार करवा ई-जावक रिपोर्ट व्यापा लाभ राजा को भेजी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर जब्त से बाद तबील जाकर लाजिमी क्लर्क/लेखा अनुभाग जमा हो।

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

निर्णय आज दिनांक 26-09-2018 को ई-जलास में कक्ष लिखवाया जाकर सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

तहसीलदार
सोजत